न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 57/2017 एफ एस एस एक्ट

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (दौसा)

सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत निवासी रामकरण जोशी चिकित्सालय के पीछे, बाईजी कोठी, डगलाव रोड, दौसा। एफबीओ मैसर्स एस. के. फार्मा, पूनम टॉकिज के सामने, सी. एमए टॉवर के पीछे, लालसोट रोड दौसा। विक्रेता
2. श्री जितेन्द्र कुमार गंगवाल, निवासी — 98, जय जवान कॉलोनी —3, जेएलएन मार्ग जयपुर। एफबीओ मैसर्स— गंगवाल फार्मा, दूनी हाउस फिल्म कॉलोनी, जयपुर 302003 विक्रेता
3. श्री नवीन कुमार जिंदल पुत्र श्री ओ. पी. जिंदल, निवीस अंसारी रोड नई दिल्ली — 110002 भागीदार **FBO- Clide International PVT LTD. C-592 DSIDC Narela Ind. Area Delhi, North (Delhi) – 110040**
4. श्री प्रशान्त गुप्ता पुत्र श्री आर. के. गुप्ता निवासी पी. 729 सरस्वती विहार दिल्ली — 34 भागीदार **FBO- Clide International PVT LTD. C-592 DSIDC Narela Ind. Area Delhi, North (Delhi) – 110040**
5. श्री हरिसिंह **FBO- BIOLIFE TECHNOLOGIES 391 HSIIDC EPIP KUNDLI SONIPAT (HARYANA) – 131028** निर्माता

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह खादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अभियुक्त सं. 01 व 05 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 13.12.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.08.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.09.2014 के अनुसार मुझे मुख्य चिकित्सा

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 14.09.2016 को दोपहर बाद 01:15 बजे मैसर्स– एस. के. फार्मा, पूनम टॉकिज के सामने, सी. एमए टॉवर के पीछे, लालसोट रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना न जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान मे लकडी की रैक में 300 ग्राम में पैकिंग में पैक **Food Suppliment Body Grow (Clide)** की 15 पैकिट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे में मिलावट का शक होने पर इनमे से 8 मूल पैकिट **Food Suppliment Body Grow (Clide)** 300 ग्राम वजनी के खरीदे। जिनकी कीमत 1328 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा **Food Suppliment Body Grow (Clide)** के 8 पैकिटो में से दो–दो पैकिटो को एक–एक जगह बांधकर चार पैकिट तैयार किये। लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1478 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साईडों में चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.09.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.09.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.09.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ **Food Suppliment Body Grow (Clide)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 2725 / एक्ट / 2016 / 397 दिनांक 04.10.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Food Suppliment Body Grow (Clide)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा जवाब पेश किया गया एवं अप्रार्थी सं. 05 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर स्वयं बहस करने का अनुरोध किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सं. 05 की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 05 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी उक्त खाद्य पदार्थ **Food Suppliment Body Grow (Clide)** का निर्माता है। उक्त खाद्य पदार्थ में पायी गई मिसब्राण्ड की कमी को ठीक करवा दिया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ की क्वालिटी एफएसएसए 2006 के अनुसार ही पायी गई है। खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड नही पाया गया है। अतः प्रथम बार कारित अपराध को माफ करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा जवाब में अंकित किया गया है कि उक्त खाद्य पदर्थ एस. के. फार्मा के नाम बिल बनवाकर कम्पनी से खरीदा गया है। अप्रार्थी सं. 05 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में पायी गई मिसब्राण्ड की कमी को ठीक करवा दिया जाना व्यक्त किया गया है। किन्तु खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 2725 / एक्ट / 2016 / 397 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Food Suppliment Body Grow (Clide)** मिसब्राण्ड पाया गया है जो एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं. 05 श्री हरिसिंह **FBO-BIOLIFE TECHNOLOGIES, 391, HSIIDC, EPIP, KUNDLI, SONIPAT (HARYANA) –131028** निर्माता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Food Suppliment Body Grow (Clide)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 57 / 2017 एफ एस एस एक्ट

अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं. 05 श्री हरिसिंह **FBO- BIOLIFE TECHNOLOGIES 391 HSIIDC EPIP KUNDLI SONIPAT (HARYANA) – 131028** निर्माता पर 5,000 / –(अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। शेष अप्रार्थीगण को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य मे एफएसएसए 2006 के अनुसार पालना होने पर ही खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जाना सुनिश्चित करे। अभियुक्त सं. 05 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 13.12.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक /

दिनांकः– .2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत निवासी रामकरण जोशी चिकित्सालय के पीछे, बाईजी कोठी, डगलाव रोड, दौसा। एफबीओ मैसर्स एस. के. फार्मा, पूनम टॉकिज के सामने, सी. एमए टॉवर के पीछे, लालसोट रोड दौसा। विक्रेता
4. श्री जितेन्द्र कुमार गंगवाल, निवासी – 98, जय जवान कॉलोनी –3, जेएलएन मार्ग जयपुर। एफबीओ मैसर्स– गंगवाल फार्मा, दूनी हाउस फिल्म कॉलोनी, जयपुर 302003 विक्रेता
5. श्री नवीन कुमार जिंदल पुत्र श्री ओ. पी. जिंदल, निवाीस अंसारी रोड नई दिल्ली – 110002 भागीदार **FBO- Clide International PVT LTD. C-592 DSIDC Narela Ind. Area Delhi, North (Delhi) – 110040**
6. श्री प्रशान्त गुप्ता पुत्र श्री आर. के. गुप्ता निवासी पी. 729 सरस्वती विहार दिल्ली – 34 भागीदार **FBO- Clide International PVT LTD. C-592 DSIDC Narela Ind. Area Delhi, North (Delhi) – 110040**
7. श्री हरिसिंह **FBO- BIOLIFE TECHOLOGIES 391 HSIIDC EPIP KUNDLI SONIPAT (HARYANA) – 131028** निर्माता

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा